



15.10.15

अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। यू.आई.टी. के अधिवक्ता ने प्रथमा पर के

साथ डी.बी. सिविल स्क्. अधीन रिट नं 1806/2014 आदेश 18.08.2015

की फाट्टी प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में माननीय

उच्च न्यायालय द्वारा स्वगन आदेश पारित किया जा चुका है। अतः

वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही स्थगित करने के आदेश पारित किये जावें।

सुना गया। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का स्वगन आदेश है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर का स्वगन आदेश दिनांक

18.08.2015 प्रभावी होने एवं डी.बी. सिविल स्क्. अधीन रिट नं

1806/2014 विचारधीन होने से, हस्तगत अधील प्रकरण में माननीय उच्च

न्यायालय के निर्णय होने तक मौजूदा अधील की कार्यवाही स्थगित की

जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय/आदेश प्राप्त होने पर/उभयपक्ष

के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत करने पर नियमानुसार निर्णय की पालना में

आगामी कार्यवाही की जायेगी।

इसी स्तर पर हस्तगत अधील प्रकरण उपरोक्तानुसार निरस्तारित

किया जाकर नम्बर से कम किया जावे व बाद तकमाल दखिल दफतर

हो। आदेशिका की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर,

तहसीलदार, श्रीगंगानगर को भेजी जावे। आदेश खूले न्यायालय में सुनाया

गया।

श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन) (आ. ज.)

कायालय टिप्पणी
अधीन इतकाल प्रकरण संख्या 70/2013
बनाम यू.आई.टी. गंगानगर व अन्य
विद्या सागर



ADMVA
5